शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लव–कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.) 450001, दूरभाष– 0733-2245000, Fax-0733-2245001
Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक / 8330 / स्थापना प्र. द्वि. / 2022 खण्डवा, दिनांकः 30 / 12 / 2022

/ /सीमित विज्ञप्ति/ /

1. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2–53 / 2017 / 1 / 55 दिनांक 12 / 01 / 18 द्वारा मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा के अधीन प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। आवेदन की पात्रता उन चिकित्सा शिक्षकों की होगी जो वर्तमान में नंदकुमार सिंह चौहान, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा में पदस्थ हो एवं जो रिक्त पदोन्नति / सीधी भर्ती के पद हेतु एनएमसी द्वारा निर्धारित आर्हताए पूर्ण करते हो उनके आवेदन दिनांक 07 / 01 / 2023 सांय 5.30 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। उपरोक्त जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा (म.प्र.) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से **Dean and CEO, Government Medical College, Khandwa** के कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं एवं अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित स्कैन कराकर स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, खंडवा स्थापना प्र.द्वि. शाखा की ई–मेल आई.डी. **estt1st2ndclass@gmail.com** पर भी भेजा जाना अनिवार्य है।

3. आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, खंडवा में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम और आरक्षित / अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(डॉ. अनंत टी. पवार)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नं.सिं.चौ.शा.चि.म. खण्डवा

/ /सीमित विज्ञप्ति/ /

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2–53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018" के अन्तर्गत शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के अधीन निम्नलिखित पदोन्नति/सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाना है। इस हेतु नं.सिं.चौ.शा.चि.महा. खण्डवा में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों से संस्था स्तर **(In-House)** पर सीमित भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

पदोन्नति/सीधी भर्ती प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक

क्र.	विभाग का नाम	प्राध्यापक				सह–प्राध्यापक				सहायक प्राध्यापक			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	एनाटॉमी	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
2	फिजीयोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	
3	फार्माकोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
4	पैथोलॉजी	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-
5	माईक्रोबायोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	01		-	-
6	फारेन्सिक मेडिसीन	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
7	जनरल मेडिसीन	-	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-
8	इमरजेन्सी मेडिसीन	01	-	-	-	01				-	-	-	-
9	पीडियाट्रिक्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	डर्मेटोलॉजी	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
11	जनरल सर्जरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	आर्थोपेडिक्स	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
13	ई.एन.टी.	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
14	नेत्र रोग	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	स्त्री एवं प्रसूति रोग	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	पी. एम. आर	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
	कुल पद		-	-	-		-		-				

- उपरोक्त चिन्हित पदों में **SC=** अनुसूचित जाति, **ST** =अनुसूचित जनजाति, **OBC** =अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार हेतु आरक्षित हैं।
- पदों की संख्या अधिक/कमी की जा सकती है।

1. वेतनमान – नियमित नियुक्ति हेतु

प्राध्यापक – 144200
सह प्राध्यापक – 131400
सहायक प्राध्यापक – 68900

(7 वें वेतनमान कें अनुरूप)

टीप –समस्त पदो के लिये राज्य शासनद्वारा समय–समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होगे।

2. आयु सीमा – न्यूनतम

प्राध्यापक – 35 वर्ष
सह प्राध्यापक – 30 वर्ष
सहायक प्राध्यापक – 25 वर्ष

टीप – आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात् आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

3. पदो पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा ।

- **जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।**

4. अर्हतायें :—

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता एवं अनुभव।

5. निरर्हतायें—

5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।

5.2 दुश्चरित्र होने पर।

5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध, दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा — किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।

5.5 विवाह संबंधी — जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

5.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

5.7 कदाचरण संबंधी — किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

5.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

5.9 स्वास्थ्य संबंधी — चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

5.10 एमसीआई/एनएमसी के अनुसार, चिकित्सा महाविद्यालय को एलओपी मिलने से पहले प्राप्त चिकित्सा शिक्षक का अुनभव / ऑनरेरी /विदेशी संस्थानों / दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, सह—प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के पद पर प्राप्त अनुभव, भारत के चिकित्सा महाविद्यालयों में पूर्णकालिक चिकित्सा शिक्षक के उच्च पद पर पदोन्नति/नियुक्ति के लिए मान्य /स्वीकार्य नहीं है।

6 ऐसे आवेदक (स्नातकोत्तर डिग्री) जिनकी चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) में प्रथम फेस नियुक्ति/स्नातकोत्तर डिग्री दिनांक 05.06.2017 के पश्चात है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता/अनुमति प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) में एक वर्ष की अवधि के लिये संबंधित विभाग में सीनियर रेसीडेन्ट/प्रदर्शक (स्नातकोत्तर डिग्री पच्चात्) के पद पर कार्य किया हो तो उसे सीधे सहायक प्राध्यापक पद पर नियमित सेवा में नियुक्ति दी जा सकेगी। दिनांक 07/06/2019 को जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसी विधाओं में, जहा वरिष्ठ रेजीडेंट का पद निर्धारित नही किया गया है, संबंधित विधा में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने पर पश्चात टयूअर/प्रदर्शक/रेजीडेंट/रजिस्ट्रार के रूप में एक वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।

7 स्क्रूटनी प्रक्रिया के दिनांक को प्रचलित एन.एम.सी. के मापदण्डों के अनुसार आर्हताए पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु पात्र होगें।

8 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिये स्वंतत्र होगा ओर ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा ।

9 चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय—समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

10 ऐसे चिकित्सा शिक्षकजिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।

11 **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथिः**—शासकीयस्वशासीचिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक—**07/01/2023** सायं **05:30** बजे तक शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आवक—जावक शाखा में जमा कराये जा सकते हैं। अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित स्केन कराकर नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खंडवा स्थापना प्र.द्वि. शाखा की ई—मेल आई.डी. **estt1st2ndclass@gmail.com** पर भी भेजा जाना अनिवार्य है।आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्वशासी "चिकित्सा महाविद्यालय,खण्डवा में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन" एवं विषय तथा आवेदित पद का नामऔर आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों परविचार नहीं किया जावेगा। साक्षात्कार की संभावित दिनांक एवं इस सम्बन्ध में आगे की जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करते है तो उन्हें अलग—अलग आवेदन करना होगा।

12 साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की दो छायाप्रति स्व—प्रमाणित साथ लेकर अनिवार्य रूप से लावें।

13 चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

14 उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप **शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)** के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण टीप :—

1. पदोन्नति/सीधी भर्ती (अनुसूचि क्रमांक—02 कॉलम—5) के पदों पर संस्था में कार्यरत चिकित्सा शिक्षक की सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्ति होने पर चरित्र सत्यापन एवं संस्था में 03 वर्ष की सेवा हेतु, बन्धपत्र जमा करने की आवश्यक नहीं है। उक्तानुसार नियुक्ति चिकित्सा शिक्षक की परीविक्षा अवधि की गणना उनके द्वारा पूर्व में दी गयी सेवाओं की अवधि की गणना से किया जावेगा।

2. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं करे ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीद्वारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जाँच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

3. म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल का पत्र कमांक एफ 2—45/2010/1/55 भोपाल दिनांक 27.12.2022 अनुसार संलग्न प्रोराटा अनुसार चयन की प्रकिया की जावेगी।

(डॉ. अनंत टी. पवार)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नं.सिं.चौ.शा.चि.म. खण्डवा

प्रपत्र–अ

सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु प्रोरेटा
अधिकतम अंक 100

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 30 अंक	कुल 40 अंक	कुल 05 अंक	कुल 05 अंक	कुल 20 अंक	कुल प्राप्त अंक (..... / 100)
		एमबीबीएस / बीडीएस पाठ्यक्रम अंक – 1. एमबीबीएस / बीडीएस पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण समस्त प्रोफेशनल्स के सम्मिलित प्राप्तांक प्रतिशत का 30% Weightage (उदाहरण–एमबीबीएस / बीडीएस परीक्षा में सम्मिलित प्राप्तांक 55% 55 X 30 Weightage = 16.5 अंक) 2. एमबीबीएस / बीडीएस पाठ्यक्रम किसी भी विषय में प्रत्येक अतिरिक्त attempt होने पर 02 अंक कम किये जायेंगे) अधिकतम– 30 अंक	**पी.जी.पाठ्यक्रम अंक –** 1. पी.जी.पाठ्यक्रम **(MD/MS/DNB/MDS)** उत्तीर्ण होने पर प्राप्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत का 40% Weightage (उदाहरण – पी.जी. परीक्षा में कुल प्राप्तांक 60% 60X40 Weightage= 24 अंक) 2. प्रत्येक अतिरिक्त attempt के लिए 02 अंक कम होंगे। अधिकतम– 40 अंक	**शोध पत्र प्रस्तुतीकरण को पुरस्कार –** राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शोध पत्र के प्रत्येक प्रस्तुतीकरण को पुरस्कार मिलने पर 01 अंक अधिकतम 05 अंक	**सीनियर रेसीडेंसी–** एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार न्यूनतम 01 वर्ष से अधिक सीनियर रेसिडेंट के रूप में कार्य अनुभव प्रत्येक वर्ष 2.5 अंक अधिकतम 05 अंक	*साक्षात्कार अधिकतम– 20 अंक	
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट :–

1. चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 की अनुसूची 02 में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति / सीधी भर्ती के पद हेतु स्वशासी संस्था के अधीन सेवारत / प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होकर कार्यरत् अर्हताधारी उम्मीदवार के उपलब्ध होने की स्थिति में प्रथमतः इन–हाउस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। स्वशासी संस्था के संबंधित विभाग में अर्हताधारी उम्मीदवार के उपलब्ध न होने पर ही ओपन विज्ञप्ति जारी की जाएगी।
2. *साक्षात्कार हेतु विषय विशेषज्ञ राज्य के बाहर से मनोनीत होंगे। साक्षात्कार समिति में संबंधित संस्था से कोई विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नहीं होगा।

चयन समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी:–

1. संभागीय आयुक्त, संबंधित स्वशासी संस्था।
2. अधिष्ठाता, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय।
3. आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि।
4. संभागायुक्त द्वारा राज्य के बाहर से मनोनीत 02 प्राध्यापक स्तर के विषय विशेषज्ञ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

प्रपत्र–ब

सह प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु प्रोरेटा

अधिकतम अंक 100

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 20 अंक	कुल 20 अंक	कुल 20 अंक	कुल 20 अंक	कुल 20 अंक	कुल प्राप्त अंक (..../100)
		पी.जी.पाठ्यक्रम अंक– 1 पी.जी. पाठ्यक्रम (MD/MS/DNB/MDS) उत्तीर्ण होने पर 20 अंक 2 प्रत्येक अतिरिक्त attempt के लिए 02 अंक कम होंगे। **अधिकतम– 20 अंक**	**शैक्षणिक अनुभव –** एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार सह प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्युनतम शैक्षणिक अनुभव से अधिक शैक्षणिक अनुभव के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष को 02 अंक प्राप्त होंगे **अधिकतम – 20 अंक**	**शोध अनुभव –** एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार सह प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्युनतम आवश्यक शोध पत्रों के प्रकाशन के अतिरिक्त शोध प्रकाशन के लिए प्रत्येक शोध पत्र के 02 अतिरिक्त अंक **अधिकतम – 20 अंक**	**गोपनीय प्रतिवेदन में प्राप्त मतांकन का स्कोर –** स्वशासी संस्था में विगत 05 **वर्ष** के गोपनीय प्रतिवेदन में प्राप्त मतांकन का ग्रेडिंग का स्कोर क+=04, क=03, ख=02, ग=01, घ=0 (उदाहरणः– क+ मतांकन 04 वर्ष की सेवा x 4 अंक =16 अंक 05 वर्ष की सेवा x 4 अंक =20 अंक) **अधिकतम – 20 अंक**	*साक्षात्कार **अधिकतम–20 अंक**	
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट :–

1. चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 की अनुसूची 02 में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति/सीधी भर्ती के पद हेतु स्वशासी संस्था के अधीन सेवारत्/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होकर कार्यरत् अर्हताधारी उम्मीदवार के उपलब्ध होने की स्थिति में प्रथमतः इन–हाउस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। स्वशासी संस्था के संबंधित विभाग में अर्हताधारी उम्मीदवार के उपलब्ध न होने पर ही ओपन विज्ञप्ति जारी की जाएगी।

2. *साक्षात्कार हेतु विषय विशेषज्ञ राज्य के बाहर से मनोनीत होंगे। साक्षात्कार समिति में संबंधित संस्था से कोई विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नहीं होगा।

चयन समिति निम्नानुसार गठित की जायेगीः–

1. संभागीय आयुक्त, संबंधित स्वशासी संस्था।
2. अधिष्ठाता, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय।
3. आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि।
4. संभागायुक्त द्वारा राज्य के बाहर से मनोनीत 02 प्राध्यापक स्तर के विषय विशेषज्ञ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु प्रोरेटा
अधिकतम अंक 100

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 20 अंक **पी.जी.पाठ्यक्रम अंक–** 1.पी.जी. पाठ्यक्रम (MD/MS/DNB/MDS) उत्तीर्ण होने पर 20 अंक 2.प्रत्येक अतिरिक्त attempt के लिए 02 अंक कम होंगे। **अधिकतम – 20 अंक**	कुल 20 अंक **शैक्षणिक अनुभव –** एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्युनतम शैक्षणिक अनुभव से अधिक शैक्षणिक अनुभव के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष को 02 अंक प्राप्त होंगे **अधिकतम– 20 अंक**	कुल 20 अंक **शोध अनुभव –** एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्युनतम आवश्यक शोध पत्रों के प्रकाशन के अतिरिक्त शोध प्रकाशन के लिए प्रत्येक शोध पत्र के 02 अतिरिक्त अंक **अधिकतम– 20 अंक**	कुल 20 अंक **गोपनीय प्रतिवेदन में प्राप्त मतांकन का स्कोर –** स्वशासी संस्था में विगत **05 वर्ष** के गोपनीय प्रतिवेदन में प्राप्त मतांकन का ग्रेडिंग का स्कोर क+=04, क=03, ख=02, ग=01, घ=0 (उदाहरणः– क+ मतांकन 03 वर्ष की सेवा X 4 अंक =12 अंक 05 वर्ष की सेवा X 4 अंक =20 अंक) **अधिकतम – 20 अंक**	कुल 20 अंक *साक्षात्कार **अधिकतम – 20 अंक**	कुल प्राप्त अंक (..../100)
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट :–

1. चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 की अनुसूची 02 में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति/सीधी भर्ती के पद हेतु स्वशासी संस्था के अधीन सेवारत्/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होकर कार्यरत् अर्हताधारी उम्मीदवार के उपलब्ध होने की स्थिति में प्रथमतः इन–हाउस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। स्वशासी संस्था के संबंधित विभाग में अर्हताधारी उम्मीदवार के उपलब्ध न होने पर ही ओपन विज्ञप्ति जारी की जाएगी।
2. *साक्षात्कार हेतु विषय विशेषज्ञ राज्य के बाहर से मनोनीत होंगे। साक्षात्कार समिति में संबंधित संस्था से कोई विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नहीं होगा।

चयन समिति निम्नानुसार गठित की जायेगीः–

1. संभागीय आयुक्त, संबंधित स्वशासी संस्था।
2. अधिष्ठाता, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय।
3. आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि।
4. संभागायुक्त द्वारा राज्य के बाहर से मनोनीत 02 प्राध्यापक स्तर के विषय विशेषज्ञ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

आवेदन का प्रारूप

....के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र (अंतिम तिथि– 07/01/2023)

नोटः सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

स्वप्रमाणित फोटो

1. आवेदक का नाम ....
2. पुरूष/महिला..
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित)..
4. वर्तमान पद एवं कार्यस्थल/संस्थान..
5. वर्तमान संस्थान जहां कार्यरत है प्रायवेट है या शासकीय है.................................
6. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित)..

   ....

   शहर का नाम.............................. फोन नं..

   मोबाइल नं.................................ईमेलआईडी..
7. स्थाई पता..

   ....

   शहर का नाम.............................. फोन नं..

   मोबाइल नं...
8. आधार कार्ड नम्बर (हो तो) ....
9. जन्मतिथि (**हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें**).................................
10. दिनांक **01/01/2022** को आवेदक की आयु ....दिन .... माह ....वर्ष
11. आवेदक की वैवाहिक स्थिति– विवाहित/अविवाहित
12. विवाह का दिनांक– ....
13. विवाह के समय आपकी उम्र....... वर्ष....... माह...... दिन........

    पति/पत्नि की उम्र...... वर्ष........ माह...... दिन.......
14. आपके बच्चों की संख्या..
15. यदि बच्चों की संख्या 03 है तो सबसे छोटे बच्चे का जन्म दिनांक................
16. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / विकलांग .... (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

17. मेडिकल काउन्सिल / डेन्टल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनॉक ....

अ. (एम.बी.बी.एस.)(बी.डी.एस.)——

ब. एमडी / एमएस / एम.डी.एस.)——

स. एमसीएच / डीएम—

18. शैक्षणिक योग्यताऐं:— **(प्रमाण—पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)**

परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	प्रयास **(Attempt)**
MBBS/BDS/Msc First Prof.						
MBBS/BDS/Msc Second Prof.						
MBBS/BDS/Msc Final Part I						
MBBS/BDS/Msc Final Part II						
MD/MS/MCH/DNB/ DM/MDS/PhD						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक—पृथक भरे)

नोटः प्रत्येक परीक्षा के प्रयास **(Attempt)** प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

For D.N.B. candidates:-

D.N.B. course duration (in years)	Number of beds in teaching hospital where D.N.B. course was conducted	Eligibility of D.N.B. guide's/supervisor's as PG teacher as per MCI/NMC TEQ	Post D.N.B. S.R. ship/ Research Associate (CISR) in MCI recognized / permitted institution(required for acquiring/ gaining equivalence with MD/MS/DM/M.Ch as per MCI/NMC TEQ)

D.N.B. candidate after acquiring/gaining equivalence with MD/MS/DM/M.Ch as per MCI/NMC TEQ, further one year SR/Tutor in conce subject/specialty in MCI/NMC recognized /permitted institution(in accordance with MCI/NMC TEQ amendment dated 8th June 2017) :-

19. शैक्षणिक अनुभव :—

Post	Name of the Institute with address:	Date of (G.O.I.) L.O.P. issued to the said institute:	Institute Recognized/ Permitted by MCI/NMC	Type of appointment as Permanent Full time / Contractual Full time / Regular Full time / Part time / Honorary / Visiting Faculty	Work experience From (Date)	Work experience To (Date)	Duration (in Years , Month and days)
Professor							
Designate Professor as per MCI Notification 22 Jun 2018							
Associate Professor							
Assistant Professor							
*****Post PG SR / Tutor**							
PG Resident							

***Whether serving as teaching faculty(Professor/Associate Professor/Assistant Professor) in a Medical college in India **on 8th June 2017**:- YES / NO.

**For Designate Professor, kindly attach "300 bedded or more Government District Hospital (which is going for LOP of concerned medical college) 18 years Hospital Service Experience Certificate in concerned subject/department (as per MCI/NMC rule dated 22 Jan 2018)".

20. रिसर्च पब्लिकेशन :–

Details of **Original Research Article/Papers** published in Indexed Journal as first/second/third/corresponding author :-

No.	Publication Title & Journal name	Date of Publication	Published during tenure of Professor/ Assoc. Prof/Assist. Prof/ PG	Author number First/Second/ Third /Corresponding Author (as per MCI/NMC Norms)	Name of the Journal Index, as per MCI/NMC Norms* & P-ISSN no.	Journal type National(N)/International(I), Print/E online Journal
	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						

*1. Medline 2. Pubmed Central 3.Science Citation Index, 4. Science Citation Index Expanded 5. Embase 6.Scopus, 7. Directory of Open Access Journals(DoAJ).

*As per MCI/NMC TEQ amendment dated 12/02/2020] previous criteria of First/Second author in Original Research Article/Paper in Journal indexed in 1.Scopus 2.Pubmed 3. Medline 4.Embase/Excerpta Medica 5. Index Medicus 6. Index Copernicus (for new fresh appointments on higher post)acceptable till 11/02/2022.

Details of **Systematic Review Papers** published in Indexed Journal as first/second/ third/corresponding author :-

No.	Publication Title & Journal name	Date of Publication	Published during tenure of Professor/Assoc. Prof/Assist. Prof/ PG	Author number First/Second/Third /Corresponding Author	Name of the Journal Index, as per MCI/NMC Norms* & P-ISSN no.	Journal type National(N)/International(I), Print/E online Journal
	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						

****1. Medline 2. Pubmed CentraL 3.Science Citation Index,4. Science Citation Index Expanded 5. Embase 6.Scopus, 7. Directory of Open Access Journals(DoAJ).

Details of **Meta-analysis Papers** published in Indexed Journal as first/second/ third/corresponding author :-

No.	Publication Title & Journal name	Date of Publication	Published during tenure of Professor/Assoc. Prof/Assist. Prof/ PG	Author number First/Second/Third /Corresponding Author	Name of the Journal Index, as per MCI/NMC Norms* & P-ISSN no.	Journal type National(N)/International(I), Print/E online Journal
	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						

****1. Medline, 2. Pubmed Central , 3.Science Citation Index,4. Science Citation Index Expanded, ,5. Embase ,6.Scopus, 7. Directory of Open Access Journals(DoAJ).

Details of **Case Series Papers** published in Indexed Journal as first/second/third/corresponding author :-

No	Publication Title & Journal name	Date of Publication	Published during tenure of Professor/Assoc. Prof/Assist. Prof/ PG	Author number First/Second/Third /Corresponding Author	Name of the Journal Index, as per MCI/NMC Norms* & P-ISSN no.	Journal type National(N)/International(I), Print/E online Journal
	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						

****1. Medline, 2. Pubmed Central , 3.Science Citation Index,4. Science Citation Index Expanded, ,5. Embase ,6.Scopus, 7. Directory of Open Access Journals(DoAJ).

21.Other Information–

1.	Principal Investigator/Co Principal Investigator in Research Project of ICMR/DST/DBT/Any National Research Body , in lieu of Publication/authorship:-	
2.	Basic course in Biomedical Research from institution designated by MCI/NMC.	
3.	Editor of Journal /Member of Editorial board:-	
4.	Written book/Chapter in book:-	
5.	National Award /State Award for:-	
6.	Fellowship	
7.	Membership of Scientific Research Society:-	
8.	Good Clinical Practice Workshop:-	
9.	Any Extracurricular Activities:-	
10.	Revised Basic Course in MET, AT-COM, CISP from institution designated by MCI/NMC.	
11.	Organized Conference(National/State)	
12.	Scientific Paper/Poster Presentations at Conference/CME/CDE:	

22. संलग्न प्रमाण पत्रों की संपूर्ण सूची:–**(Whichever applicable)**

1). 1st M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Marksheet
2).2nd M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Marksheet
3).3rd M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Marksheet
4).4th Part I B.D.S. Marksheet
5). 4th Part II B.D.S. Marksheet
6).AT-COM,Revised Basic course in MET, CISP from institution designated by MCI/NMC
7).M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Degree Certificate
8).M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Attempt Certificate
9).M.B.B.S./B.D.S. Registration Certificate
10).M.S./M.D./D.N.B/M.D.S./PhD. Mark sheet Certificate
11).M.S./M.D./D.N.B/M.D.S./PhD. Degree Certificate
12).M.S./M.D./D.N.B/M.D.S./PhD. Attempt Certificate
13).M.S./M.D./D.N.B/M.D.S. Registration Certificate
14). Certificate of Basic course in Biomedical Research from institution designated by MCI/NMC
15). Certificate of Revised Basic Course in MET &AT-COM from institution designated by MCI/NMC
16).Teaching Experience Certificates of Professor/Associate Professor/Assistant Professor in Medical College
17).Post-PG one year experience certificate of S.R./ Tutor in concerned subject in a MCI/NMC permitted/recognized Medical College.
18).PG Resident Experience Certificate
19).Tenth Mark sheet/Certificate or Birth Certificate
20).Adhar Card
21). PAN Card

22).Copies of Research Publications
23).Papers/Poster presented at Conference /CDE/CME
24).Internship completion certificate
25).paper's/Poster presented at Conference/CDE/CME
26).Copies of Research Publication with proof of Indexing.
27)...
28). ....
29). ....

स्थान................................
दिनांक.............................

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

//घोषणा–पत्र//

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मेरे विरूद्ध पुलिस प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज नही है, और मेरे विरूद्ध कोई जॉच प्रचलन में नही है।
3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध मे किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय मे विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर